Purva Mimaansa
A Multi-disciplinary Bi-annual Research Journal
(Referred Peer Reviewed)

Vol. 11, Issue March-September 2020
ISSN: 0976-0237
UGC Approved Journal No.: 40903
Impact Factor: 3.765

भारतीय संविधान तथा वाल्मीकी रामायण*

*डॉ॰ विशाल भारद्वाज[1]

वैदिक तथा लौकिक दो भागों में संस्कृत साहित्य विभक्त है। लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम ग्रन्थ महर्षि वाल्मीकिकृत रामायण है। इस कारण महर्षि वाल्मीकि को 'आदिकवि' तथा रामायण को 'आदिकाव्य' की संज्ञा प्राप्त है। वेदशास्त्रों के ज्ञाता एवं महान् विद्वान् महर्षि वाल्मीकि अलौकिक प्रतिभा के धनी थे। उनकी अमर रचना 'रामायण' भारतीय जीवन तथा भारतीय साहित्य के लिये प्रेरणा स्रोत बन गयी। महर्षि वाल्मीकि ने अपने आदिकाव्य में विभिन्न विषयों का प्रतिपादन किया है, यथा—पारिवारिक सम्बन्ध, राजधर्म, स्वामी-भक्ति, राष्ट्र-भक्ति इत्यादि। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान में वर्णित दिशा-निर्देशों के आधार पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था चल रही है। संवैधानिक मूल्यों के साथ-साथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित राजनीतिक व्यवस्था आज 21वीं शताब्दी में अत्यन्त प्रासंगिक है, जिसका वर्णन यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

भारतीय संविधान लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली की बात करता है। संस्कृत साहित्य तो वैदिक काल से ही लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली का पक्ष लेता आ रहा है। अथर्ववेद में 'सभा' तथा 'समिति' नामक दो लोकतान्त्रिक संस्थाओं का उल्लेख करते हुये उनको प्रजापति अर्थात् शासन-व्यवस्था का पुत्रियां माना गया है। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य शासक को श्रेष्ठ परामर्श देना होता था। शासक का भी कर्त्तव्य बनता था कि वह इन 'सभा' और 'समिति' का दत्तचित्त होकर उसी प्रकार पालन-पोषण करे, जिस प्रकार पिता अपनी पुत्री का भरण-पोषण करता है —

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने।
येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चारु वदानि पितरः सङ्गतेषु।।[1]

प्रजापति की इन दो पुत्रियों — 'सभा' तथा 'समिति' से अभिप्राय आज की 'लोकसभा' (Lower House)से है, जिसमें लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'समिति' से भाव आधुनिक 'राज्यसभा' (Upper House) से है। वाल्मीकीयरामायण में भी इन 'सभा' और 'समिति' का उल्लेख किया गया है।

भारतीय संविधान में संसद की व्यवस्था की गई है। वाल्मीकीयरामायण में रावण की संसद का वर्णन उपलब्ध है, जिसमें यथायोग्य भिन्न-भिन्न विषयों के लिये उचित सम्मति देने वाले मुख्य-मुख्य मन्त्री, कर्तव्य निश्चय में पाण्डित्य का परिचय देने वाले सचिव, बुद्धिदर्शी, सर्वज्ञ, सद्गुण-सम्पन्न उपमन्त्री तथा और भी बहुत से शूरवीर सम्पूर्ण अर्थों के निश्चय के लिये और सुखप्राप्ति के उपायों पर विचार करने वाले सैंकड़ों की संख्या में सदस्य उपस्थित थे —

---

[1] असिस्टैण्ट प्राफेसर, संस्कृत विभाग,गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर।

Purva Mimaansa
A Multi-disciplinary Bi-annual Research Journal
(Referred Peer Reviewed)

Vol. 11, Issue March-September 2020
ISSN: 0976-0237
UGC Approved Journal No.: 40903
Impact Factor: 3.765

मन्त्रिणश्च यथामुख्या निश्चितार्थेषु पण्डिताः।
अमात्याश्च गुणोपेताः सर्वज्ञा बुद्धिदर्शनाः।।
समीयुस्तत्र शतशः शूराश्च बहवस्तथा।
सभायां हेमवर्णायां सर्वार्थस्य सुखाय वै।।[2]

वाल्मीकीयरामायण में संसद के सभासदों की विशेषताओं को भी उजागर किया गया है, जिनका अनुसरण वर्तमानकालीन संसद के सभासदों के लिये नितान्त अनिवार्य है। रावण के सभासदों के बारे में बताया गया है कि उसकी सभा का कोई भी सदस्य असत्य नहीं बोलता था। वे सभी सभासद न तो चिल्लाते थे और न ही जोर-जोर से बातें ही करते थे। वे सभी के सभी सफलमनोरथ एवं भयंकर पराक्रमी थे तथा सभी अपने सभाध्यक्ष (स्वामी) की ओर ध्यान केन्द्रित किये रहते थे —

न चुक्रुशुर्नानृतमाह कश्चित्
सभासदो नापि जजल्पुरुच्चैः।
संसिद्धार्थाः सर्व एवोग्रवीर्या
भर्तुः सर्वे ददृशुश्चाननं ते।।[3]

भारतीय संविधान मन्त्रियों की नियुक्ति की बात तो करता है, परन्तु उनकी योग्यताओं के सम्बन्ध में कोई विशेष दिशा-निर्देश का अभाव है। मन्त्रियों की योग्यताओं का प्रतिपादन करते हुये वाल्मीकीयरामायण का कथन है कि अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेन्द्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मन्त्री के पद पर सुशोभित किया जाना चाहिये —

कच्चिदात्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः।
कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मन्त्रिणः।।[4]

राम के सीता का पता लगाकर सुग्रीव आदि वानरों के सहित समुद्र के तट पर पहुंचने पर रावण अपने सभासदों से मन्त्रणा करते हुये कहता है कि अब वे लोग आपस में विचार-विमर्श करें और कोई ऐसी नीति बनायें कि जिससे सीता को लौटाना भी न पड़े तथा दोनों दशरथकुमारा भी मारे जायें —

अदेया च यथा सीता वध्यौ दशरथात्मजौ।
भवद्भिर्मन्त्र्यतां मन्त्रः सुनीतं चाभिधीयताम्।।[5]

प्रजाजनों के हित को ध्यान में रखते हुये राजा दशरथ अपने पुत्र राम को राज्यभार सौंपकर राजकार्य से विश्राम लेना चाहते हैं। वे अपने सभासदों के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि यदि उन्हें यह प्रस्ताव अनुकूल जान पड़े तो समस्त सभासद इसके लिये उन्हें सहर्ष अनुमति प्रदान करें अथवा यह बतायें कि वह किस प्रकार से कार्य करे —

यदिदं मेऽनुरूपार्थं मया साधु सुमन्त्रितम्।
भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्।।[6]

ये दृष्टान्त वाल्मीकीयरामायण की इस धारणा को अभिव्यक्त करते हैं कि शासक को कोई भी कार्य करने से पूर्व अपने सभासदों से मन्त्रणा अवश्य कर लेनी चाहिये।

Purva Mimaansa
A Multi-disciplinary Bi-annual Research Journal
(Referred Peer Reviewed)

Vol. 11, Issue March-September 2020
ISSN: 0976-0237
UGC Approved Journal No.: 40903
Impact Factor: 3.765

अच्छी मन्त्रणा ही राजाओं की विजय का मूलकारण है। वह भी तभी सफल होती है, जब नीतिशास्त्रों में निपुण मन्त्रिशिरोमणि अमात्य उसे सदा गुप्त रखें —

मन्त्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव।
सुसंवृतो मन्त्रिधुरैरमात्यैः शास्त्रकोविदैः।।[7]

वाल्मीकीयरामायण के मत में सच्चा मन्त्री वही है जो अपने और शत्रु-पक्ष के बल-पराक्रम को समझकर तथा दोनों पक्षों की स्थिति, हानि और वृद्धि को अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करके, जो अपने स्वामी के लिये श्रेयस्कर एवं उचित हो, वही बात करे —

परस्य वीर्यं स्वबलं च बुद्धवा
स्थानं क्षयं चैव तथैव वृद्धिम्।
तथा स्वपक्षेऽप्यनुमृश्य बुद्धया
वदेत् क्षमं स्वामिहितं स मन्त्री।।[8]

सीता के अपहरण से क्रुद्ध रावण का सभासद कुम्भकरण रावण को प्रताड़ित करता हुआ कहता है, "महाराज! तुमने जो यह छलपूर्वक छिपकर परस्त्री-हरण कार्य किया है, यह सब तुम्हारे लिये अत्यन्त अनुचित है। इस पापकर्म को करने से पूर्व ही आपको हमारे साथ अर्थात् सभासदों के साथ परामर्श करना चाहिये था। जो राजा समस्त राजकार्य न्यायपूर्वक करता है, उसकी बुद्धि निश्चयपूर्ण होने के कारण उसे बाद में पछताना पड़ता है। जो कर्म उचित उपाय का अवलम्बन लिये बिना ही किये जाते हैं तथा जो लोक और शास्त्र के विपरीत होते हैं, वे पापकर्म उसी तरह दोष की प्राप्ति कराते हैं, जैसे अपवित्र आभिचारिक यज्ञों में होमे गये हविष्य। जो पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करना चाहता है और पीछे करने योग्य काम को पहले ही कर डालता है, वह नीति और अनीति को नहीं जानता"—

सर्वमेतन्महाराज कृतमप्रतिमं तव।
विधीयेत सहास्माभिरादावेवास्य कर्मणः।।
न्यायेन राजकार्याणि यः करोति दशानन।
न स संतप्यते पश्चान्निश्चितार्थमतिनृपः।।
अनुपायेन कर्माणि विपरीतानि यानि च।
क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवींष्यप्रयतेष्विव।।
यः पश्चात् पूर्वकार्याणि कर्माण्यभिचिकीर्षति।
पूर्वं चापरकार्याणि स न वेद नयानयौ।।[9]

संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार तो प्रदान करता है, परन्तु उनकी सुरक्षा का दायित्व तो शासक का होता है। वाल्मीकीयरामायण में शासक के लिये निर्देश दिया गया है कि शासक की लापरवाही से जब प्रजा का विधिवत् पालन नहीं होता, तभी प्रजावर्ग को विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। शासक के दुराचारी होने पर ही प्रजा में दंगों, आतंकवाद आदि के परिणामस्वरूप अकाल-मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म (पापाचार) करते हैं और वहां शासन-व्यवस्था के द्वारा रक्षा की

Purva Mimaansa
A Multi-disciplinary Bi-annual Research Journal
(Referred Peer Reviewed)

Vol. 11, Issue March-September 2020
ISSN: 0976-0237
UGC Approved Journal No.: 40903
Impact Factor: 3.765

कोई व्यवस्था नहीं होती एवं उन्हें अनुचित कर्म करने से रोकने के लिये कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश में प्रजा में अकाल-मृत्यु का भय प्राप्त होता है —

राजदोषैर्विपद्यन्ते प्रजा ह्यविधिपालिताः।
असद्वृत्ते हि नृपतावकाले म्रियते जनः।।
यद् वा पुरेष्वयुक्तानि जना जनपदेषु च।
कुर्वते न च रक्षास्ति तदा कालकृतं भयम्।।[10]

संविधान में नागरिकों को स्वतन्त्रता का अधिकार दिया गया है। वह किसी भी धर्म, व्यवसाय को अपना सकता है। परन्तु हमारे सम्मुख अनेक ऐसे दृष्टान्त उपलब्ध हैं जहां देश के धन को ही हड़प कर हमारे देश के नागरिक विदेशों में भाग जाते हैं तथा उनके भागने में हमारी सरकारों की ही मिली भगत होती है। वाल्मीकीयरामायण में इस सम्बन्धी स्पष्ट निर्देश है कि जो चोरी में पकड़ा गया हो, जिसे किसी ने चोरी करते हुये देखा हो, पूछ-ताछ से ही जिसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध (चोरी का माल बरामद होना आदि) तथा और भी बहुत से कारण (सबूत) हों, ऐसे चोर को धन के लोभ में छोड़ा नहीं जाना चाहिये —

गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः सकारणः।
कच्चिन्न मुच्यते चोरो धनलोभान्नरर्षभ।।[11]

राजकोष संग्रह की बात करें तो नीतिशास्त्र में अमात्य की तुलना कमण्डलु से की गई है, क्योंकि यह समय के मूल्य को ध्यान में रखते हुए कम व्यय एवं अधिक संग्रह करता है। निश्चित रूप से वही अमात्य श्रेष्ठ है जो अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक कोष को बढावे, क्योंकि कोषयुक्त राजा का वास्तविक प्राण कोष ही हुआ करता है—

कमण्डलूपमोऽमात्यस्तनुत्यागो बहुग्रहः।
नृपते! किंक्षणो मूर्खो दरिद्रः किंवराटकः।।
स ह्यमात्यः सदा श्रेयान् काकिनीं यः प्रवर्धयेत्।
कोशः कोशवतः प्राणाः प्राणाः प्राणा न भूपतेः।।[12]

साथ ही अर्थनीति को प्रतिपादित करते हुये महर्षि वाल्मीकि का कहना है कि सरकारी खजाने का धन अपात्रों के हाथ में नहीं जाना चाहिये तथा सरकारी व्यय की अपेक्षा आय अधिक होनी चाहिये—

आयस्ते विपुलः कच्चित् कच्चिदल्पतरो व्ययः।
अपात्रेषु न ते कच्चित् कोषो गच्छति राघव।।[13]

संविधान में न्यायपालिका को बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। न्यायप्रणाली का प्रमुख उद्देश्य समाज में दुष्टों के दमनपूर्वक शान्ति व्यवस्था बनाए रखना होता है। दुष्टों को पापाचरण से विरत कर देना ही 'दुष्टदमन' कहलाता है —

Purva Mimaansa
A Multi-disciplinary Bi-annual Research Journal
(Referred Peer Reviewed)

Vol. 11, Issue March-September 2020
ISSN: 0976-0237
UGC Approved Journal No.: 40903
Impact Factor: 3.765

...पापाचारनिवृत्तियैर्दुष्टनिग्रहणं हि तत्।।[14]

दुष्टों का दमन करने से प्रजा निरंकुश नहीं हो पाती तथा सदैव राजा के आदेशानुसार काम करने में प्रवृत्त होती है —

...स्वाज्ञया वर्त्तितुं शक्या स्वाधीना च सदा प्रजा।।[15]

आज हमारे भारत वर्ष में न्यायपालिका का वह स्थान नहीं रहा, जिसकी कल्पना हमारे संविधान में की गई है। धन के लोभ में अनेक कर्मचारी न्याय-प्रणाली को दूषित कर रहे हैं। नीतिशास्त्र का मानना है कि कर्मचारियों को उपयुक्त पदों पर नियुक्त करने के अनन्तर समय समय पर राजा उनकी कार्य-पद्धति पर निगरानी बनाए रखे, क्योंकि मनुष्यों की चित्त-वृत्तियां सदा एक जैसी नहीं रहतीं। प्रायः देखने में आता है कि कभी-कभी मनुष्य भी घोड़ों के स्वभावानुरूप आचरण में प्रवृत्त होने लगते हैं। जिस प्रकार घोड़ा अपने स्थान पर बंधा हुआ शान्त दिखाई देता है, किन्तु रथ आदि से जोड़ते ही वह बिगड़ जाता है, उसी प्रकार स्वभाव से शान्त दिखाई देने वाला मनुष्य भी कार्य पर नियुक्त होने के उपरान्त उद्दण्ड हो जाता है—

...कर्मसु चैषां नित्यं परीक्षां कारयेत्, चित्तानित्यत्वान्मनुष्याणाम्।

अश्वसधर्माणो हि मनुष्या नियुक्ताः कर्मसु विकुर्वते।।[16]

जैसे जीभ पर रखे हुए मधु अथवा विष का स्वाद लिए बिना रहा नहीं जा सकता, उसी प्रकार अर्थाधिकार कार्यों पर नियुक्त पुरुष अर्थ का थोड़ा भी स्वाद न ले, यह असम्भव है। जिस प्रकार पानी में
रहने वाली मछलियां पानी पीती हुई दिखाई नहीं देती हैं, उसी प्रकार अर्थकार्यों पर नियुक्त कर्मचारी भी धन का अपहरण करते हुए नहीं जाने जा सकते। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गतिविधि का पता लगाया जा सकता है, किन्तु धन का अपहरण करने वाले कर्मचारियों की गतिविधि से पार पाना कठिन है—

यथा ह्यनास्वादयितुं न शक्यं जिह्वातलस्थं मधु वा विषं वा।

अर्थस्तथा ह्यर्थचरेण राज्ञः स्वल्पोऽप्यनास्वादयितुं न शक्यः।।

मत्स्या यथान्तः सलिले चरन्तो ज्ञातुं न शक्याः सलिलं पिबन्तः।

युक्तास्तथा कार्यविधौ नियुक्ता ज्ञातुं न शक्या धनमाददानाः।।

अपि शक्या गतिर्ज्ञातुं पततां खे पतत्त्रिणाम्।

न तु प्रच्छन्नभावानां युक्तानां चरतां गतिः।।[17]

वाल्मीकीयरामायण का मानना है कि यदि धनवान् एवं निर्धन में कोई विवाद हो जाये तथा वे राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिये आयें, तो हमारे न्यायाधिकारी धन के लोभ को त्यागकर उस विवाद का निर्णय करें। न्याय-व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि निरपराधी को किसी भी स्थिति में दण्डित न किया जाये—

व्यसने कच्चिदाढ्यस्य दुर्बलस्य च राघव।

Vol. 11, Issue March-September 2020
ISSN: 0976-0237
UGC Approved Journal No.: 40903
Impact Factor: 3.765

अर्थं विरागाः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुताः।।
यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि राघव।
तानि पुत्रपशून् घ्नन्ति प्रीत्यर्थमनुशासतः।।[18]

संविधान के होते हुये भी जहां आधुनिक समाज में नारी असुरक्षित है, वहीं वाल्मीकीयरामायण में नारी-सम्मान को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि स्त्री अपमान को कदापि सहन नहीं कर सके। युद्धकाण्ड में वानरों की सेना को अपनी ओर आता देखकर रावण का पुत्र इन्द्रजित् के क्रोध की सीमा न रही। उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और सीता के सिर के केश पकड़कर उसे घसीटा। सीता चिल्ला रही थी तथा वह राक्षस उस सीता को पीट रहा था —

तद् वानरबलं दृष्ट्वा रावणिः क्रोधमूर्च्छितः।
कृत्वा विकोशं निस्त्रिंशं मूर्ध्नि सीतामकर्षयत्।।
तां स्त्रियं पश्यतां तेषां ताडयामास राक्षसः।
क्रोशन्तीं राम रामेति मायया योजितां रथे।।[19] महर्षि वाल्मीकि हनुमान् के माध्यम से इन्द्रजित् को फटकारते हुये कहते हैं, "अरे! तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है? धिक्कार है तुझ जैसे पापाचारी को! नृशंस! अनार्य! दुराचारी तथा पापपूर्ण पराक्रम करने वाले नीच! तेरी यह करतूत नीच पुरुषों के ही योग्य है। निर्दयी! तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं है"—

धिक् त्वां पापसमाचारं यस्य ते मतिरीदृशी।
नृशंसानार्य दुर्वृत्त क्षुद्र पापपराक्रम।
अनार्यस्येदृशं कर्म घृणा ते नास्ति निर्घृण।।[20]

भारतीय संविधान एक ऐसे सामाजिक ढ़ांचे की कल्पना करता है, जिसमें समस्त प्रजाजन सुखी एवं कल्याणमयी जीवन व्यतीत कर सकें। भारतीय संविधान की इस कल्पना का व्यवहारिक स्वरूप महर्षि वाल्मीकि ने अपने आदिकाव्य में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार राज्य में समस्त नागरिक प्रसन्नचित्त रहने चाहियें, अनेक देवस्थल एवं तीर्थस्थान एवं तालाब आदि प्राकृतिक स्थल उसकी शोभा को बढ़ायें, सामाजिक उत्सवों का आयोजन हो, खेतों को जोतने के लिये पशुधन की प्रचुरता हो, पूर्णतः हिंसारहित एवं भयरहित वातावरण हो, सिंचाई के लिये केवल वर्षा के जल पर ही निर्भर न रहना पड़े तथा पापी लोगों का सर्वथा अभाव हो —

प्रहृष्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः।
सुकृष्टसीमापशुमान् हिंसाभिरभिवर्जितः।।
अदेवमातृको रम्यः श्वापदैः परिवर्जितः।
परित्यक्तो भयैः सर्वैः खनिभिश्चोपशोभितः।।
विवर्जितो नरैः पापैर्मम पूर्वैः सुरक्षितः।
कच्चिज्जनपदः स्फीतः सुखं वसति राघव।।[21]

Purva Mimaansa
A Multi-disciplinary Bi-annual Research Journal
(Referred Peer Reviewed)

Vol. 11, Issue March-September 2020
ISSN: 0976-0237
UGC Approved Journal No.: 40903
Impact Factor: 3.765

महर्षि वाल्मीकि ने शासक के द्वारा परित्याज्य इन चौदह दोषों का वर्णन किया है— नास्तिकता, असत्य-भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानी लोगों का संग न करना, आलस्य, इन्द्रियों के वशीभूत होना, राजकार्यों के विषय में अकेले विचार करना, प्रयोजनों से अनभिज्ञ विपरीतदर्शी मूर्खों से सलाह लेना, निश्चित किये कार्यों को समय पर आरम्भ न करना, गुप्त मन्त्रणा को प्रकट कर देना, मांगलिका कार्यों का अनुष्ठान न करना तथा अनेक शत्रुओं के साथ एक साथ युद्ध करना —

नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रताम्।
अदर्शनं ज्ञानवतामालस्यं पञ्चवृत्तिताम्।।
एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ञैश्च मन्त्रणम्।
निश्चितानामनारम्भं मन्त्रस्यापरिरक्षणम्।।
मङ्गलाद्यप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः।
कच्चित् त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषांश्चतुर्दश।।[22]

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में जिस आदर्श सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेश को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है, वह आदर्श परिवेश हमें महर्षि वाल्मीकीयरामायण में पूर्णतः परिलक्षित होता है। आवश्यकता है संविधानिक मूल्यों के साथ-साथ महर्षि वाल्मीकि की विचारधारा को अपनाने की।

सन्दर्भ

1. अथर्ववेद, 7.12.1
2. वाल्मीकीयरामायण, 6.11.25-26
3. वाल्मीकीयरामायण, 6.11.30
4. वाल्मीकीयरामायण, 2.100.15
5. वाल्मीकीयरामायण, 6.12.25
6. वाल्मीकीयरामायण, 2.2.15
7. वाल्मीकीयरामायण, 2.100.16
8. वाल्मीकीयरामायण, 6.14.22
9. वाल्मीकीयरामायण, 6.12.29-32
10. वाल्मीकीयरामायण, 7.73.16-17
11. वाल्मीकीयरामायण, 2.100.57
12. हितोपदेश, 2/91-92.
13. वाल्मीकीयरामायण, 2.100.54
14. शुक्रनीति, 4/5/3
15. वही, 4/5/1
16. अर्थशास्त्र, 2/25/9, पृ० सं०-114
17. अर्थशास्त्र, 2/25/9, पृ० सं०-117
18. वाल्मीकीयरामायण, 2.100.58-59
19. वाल्मीकीयरामायण, 6.81.14-15
20. वाल्मीकीयरामायण, 6.81.19
21. वाल्मीकीयरामायण, 2.100.44-46
22. वाल्मीकीयरामायण, 2.100.65-67